न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 71/2016

उनवान

1. मांगूराम पुत्र भूरा पौत्र गौरू, जाति कुमावत, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार महोदय तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. राकेश पुत्र सुवालाल, जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी 81, अविनगर, मुरलीपुरा, जयपुर।
3. योगेश कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद निवासी 98 एग्रीन टाउन बैनाड रोड, दादी का फाटक, जयपुर।
4. अनिल पुत्र सीताराम, जाति ब्राहम्ण
5. नाथूलाल पुत्र मुरलीधर, जाति कुम्हार
6. बिरदीचन्द पुत्र मुरलीधर, जाति कुम्हार
7. हनुमानसहाय पुत्र कल्याण, जाति बागडा ब्राहम्ण
8. सन्तोष देवी पत्नि कैलाशचन्द, जाति बागडा ब्राहम्ण
9. प्रहलाद पुत्र हनुमान, जाति कुम्हार,

समस्त निवासीयान ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 20.07.2018

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके वादी व उसके परिवारजन की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खसरा नम्बर वर्तमान 859/2475, 1088/2476, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100/2477, 1101, 1110/2470 कुल किता 15 का कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर में वादी के दादा का हिस्सा 1/8 भाग निहित हैं। जिसके गत खसरा नम्बर 516, 571, 518, 519, 514, 519/941, 515, 513, 512, 510, 511, 507/2, 509, 508, 507/1, 502 हैं। जिस पर वादी व इसके परिवाजन काबिज काश्त होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

वादी के दादा का नाम गोरू पुत्र नानू हैं लेकिन पूर्व राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त में संवत् 2010–23 गौरू पुत्र नानू वर्तमान जमाबन्दी में भैरू पुत्र नानू

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

ाजस्व रिकार्ड में सहवन से दर्ज राजस्व कर्मचारियों से दर्ज कर दिया गया। जबकि ूर्व रिकार्ड व खसर नम्बर गिरदावरी में गौरू पुत्र नानू दर्ज हैं तथा उक्त नाम से ही आमजन मे जाना पहचाना जाता था तथा वादी के समस्त दस्तावेजातों में राशन कार्ड, पहचान कार्ड में मांगू पुत्र भूरा हैं। अतः वादी के दादा का नाम भैरू राजस्व रिकार्ड में अशुद्व हैं। भैरू पुत्र नानू के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में गोरू पुत्र नानू नाम अंकित किया जाना न्यायोचित हैं।

वादी के दादा का असली व जानपहचान का नाम गोरू पुत्र नानू ही था तथा समाज व परिवार में इसी नाम से जाना जाता था लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पेन्सिल स्लिप (त्रुटिवश) गोरू के स्थान पर भैरू नाम दर्ज हो गया। जिससे वादी अपनी राजस्व रिकार्ड का नामान्तकरण व उपयोग उपभोग से नाम भिन्नता होने से वंचित हो रहा हैं। जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं।

वादी द्वारा प्रतिवादी से दिनांक 16.04.2016 के यहां वादी के दादा का नाम भैंरू पुत्र नानू के स्थान पर गौरू पुत्र नानू दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रतिवादी ने उक्त नाम दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नही की सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु चाराजोही करने हेतु कहा। अतः उक्त वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ हैं।

उक्त प्रकार अनुतोष वादी को नही दिया जाता हैं तो वादी के साम्पतिक अधिकारों का हनन होगा जिसकी वादी को अपूतर्नीय क्षति होगा। जिससे वाद बाहुल्ता बढेगी। बिनाय दावा दिनांक 16.04.2016 को वादी के प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी द्वारा कोई कार्यवाही नही करने से उत्पन्न होकर लगाता जारी हैं।

अतः वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयात वाके ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खसरा नम्बर वर्तमान 859/2475, 1088/2476, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100/2477, 1101, 1110/2470 कुल किता 15 का कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर में भैरू पुत्र नानू का हिस्सा 1/8 भाग के स्थान पर वादी के दादा का नाम गौरू पुत्र नानू की घोषणा की जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी को भैरू पुत्र नानू के स्थान पर गौरू पुत्र नानू कुम्हार अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी द्वारा दिनांक 11.06.2016 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी दिनांक 25.06.2016 को स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 ता 9 बावजूद तामिल अनुपस्थित हैं। अतः इनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। वादी स्वयं मांगू एवं सोहनलाल, बन्शी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र दिनांक 03.02.2017 को पेश की गया। अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही चाहते। अतः साक्ष्यवादी का अवसर बन्द किया गया। प्रार्थी गिरधारी द्वारा दिनांक 17.06.2017 को प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी का पेश किया

Scanned by CamScanner

गया। जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का वगौर अवलोकन किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी दिनांक 26.03.2018 को खारिज किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 13.07.2018 को प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश किया गया। जिसको दिनांक 17.07.2018 को स्वीकार किया गया। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा साक्ष्य का वगौर अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर वर्तमान 859/2475, 1088/2476, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100/2477, 1101, 1110/2470 कुल किता 15 का कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर में वादी के दादा का हिस्सा 1/8 भाग निहित हैं। जिसके गत खसरा नम्बर 516, 571, 518, 519, 514, 519/941, 515, 513, 512, 510, 511, 507/2, 509, 508, 507/1, 502 हैं की खातेदारी भू–अभिलेख मिसल बंदोबस्त संवत् 2010–23 में भौरू वल्द नानू अंकित है जबकि समकालीन खसरा गिरदावरियों में गौरू वल्द नानू अंकित है जो जमाबंदी संवत् 2021 लगा0 2024 में भैंरू वल्द नानू अंकित होकर आदिनांक भैरू वल्द नानू का अंकन चला आ रहा है। वादी अधिवक्ता के कथन की पुष्टी समकालीन खसरा गिरदावरियों में अंकित गौरू वल्द नानू अंकित होने से होती है अतः भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भौरू वल्द नानू लिपिकीय त्रुटिवाश अंकित होना साबित होता है जो दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है कि भैरू पुत्र नानू व गौरू पुत्र नानू नाम का एक ही व्यक्ति हैं। भैरू पुत्र नानू के नाम का कोई व्यक्ति नही हैं।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भैरू पुत्र नानू दुरूस्त किया जाकर वादी के दादा का सही नाम गौरू पुत्र नानू कुम्हार को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार चौमू को रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज तारीख 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रियव्रत सिंह चारण
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– **71/2016**

उनवान

1. मांगूराम पुत्र भूरा पौत्र गौरू, जाति कुमावत, निवासी ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार महोदय तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. राकेश पुत्र सुवालाल, जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी 81, अविनगर, मुरलीपुरा, जयपुर।
3. योगेश कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद निवासी 98 एग्रीन टाउन बैनाड रोड, दादी का फाटक, जयपुर।
4. अनिल पुत्र सीताराम, जाति ब्राहम्ण
5. नाथूलाल पुत्र मुरलीधर, जाति कुम्हार
6. बिरदीचन्द पुत्र मुरलीधर, जाति कुम्हार
7. हनुमानसहाय पुत्र कल्याण, जाति बागडा ब्राहम्ण
8. सन्तोष देवी पत्नि कैलाशचन्द, जाति बागडा ब्राहम्ण
9. प्रहलाद पुत्र हनुमान, जाति कुम्हार,

समस्त निवासीयान ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भैरू पुत्र नानू दुरूस्त किया जाकर वादी के दादा का सही नाम गौरू पुत्र नानू कुम्हार को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 20.07.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 71/2016

उनवान

मांगूराम **बनाम** सरकार वगैरह

प्रार्थना पत्र तहत आदेश 1 नियम 10 व सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी

निर्णय दिनांक 26.03.2018

पत्रावली पेश हुई। व.फ.उपस्थित। प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में विवादित आराजीयात मन प्रार्थी काबिज काश्त अर्सा दराज बजमाने जागिदारान से चला आ रहा हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा पुख्ता आवास, निवास, पशुबाडे, इत्यादि बना कर रहवास किया जा रहा हैं, वादी ने उक्त वाद पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत किया हैं, जबकि वाद पत्र में विवादित आराजीयात से वादी का कोई लेना देना सम्बन्ध, सरोकार ही नहीं हैं, वादी वाके ग्राम घिनोई, तहसील चौमूं का रहने वाला नहीं हैं, बल्कि रींगस, जिला सीकर का निवासी हैं। किन्तु वादी ने जानबूझ कर प्रार्थी जो कि उक्त प्रकरण में आवश्यक एवं सुसंगत पक्षकार हैं को पक्षकार नहीं बना कर उक्त मिथ्या तथ्यों पर वाद पत्र पेश किया हैं।

मन प्रार्थी द्वारा विवादित आराजीयात बाबत घोषणा एवं स्थायी निषैधाज्ञा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषैधाज्ञा उनवानी गिरधारी बनाम मांगी लाल व अन्य मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय चौमूं के समक्ष प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक चौमूं के यहां वाद पत्र संख्या 116/2016 विचाराधीन हैं।

प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त वाद पत्र में वादी ने मन प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया हैं, जबकि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात से वादी का कोई लेना देना नहीं हैं, बल्कि मन प्रार्थी काबिज होकर उपभोग अर्सा दराज से करता चला आ रहा हैं।

प्रकरण अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं, जिस कारण उक्त प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा बल्कि प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने में श्रीमान को सहुलियत प्राप्त होगी तथा मन प्रार्थी को अगर पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया गया तो मन प्रार्थी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगी, एवं वाद बहुल्यता भी बढेगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में बतौर प्रतिवादी संख्या 10 पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 पेश कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त में हैं, उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई पुख्ता आवास, निवास, पशुबाडे नही हैं। बल्कि वादी ही काबिज काश्त हैं, वादी ने उक्त वाद ठोस आधारों पर प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी किसी भी सूरत में सुसंगत व आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। उक्त वाद में उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी हक अधिकार की कृषि भूमि हैं तथा कब्जा काश्त हैं, प्रार्थी का कोई सम्बन्ध सरोकार नही हैं। प्रार्थी का उक्त वाद से कोई सम्बन्ध, सरोकार नही हैं, अतः प्रार्थी उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार मुकदमा नही हैं तथा उक्त मुकदमें के निर्णय से प्रार्थी प्रभावित नही हैं। उक्त वाद अन्तिम बहस में है तथा उक्त वाद में वादी अपने दादा का नाम दुरूस्त करवाना चाहता हैं, जिससे प्रार्थी का कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं हैं। प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति नही होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिथ्या व कपोल–कल्पित तथ्यों के आधार पर होने से मय हर्जे–खर्चे खारिज किया जावें।

प्रा0 पत्र व जवाब प्रा0 पत्र बहस का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण अन्तिम बहस में नियत होने के बाद प्रार्थी गिरधारी लाल द्वारा प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद की दादरसी मात्र अपने दादा का नाम दुरूस्त करवाने बाबत हैं। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में प्रार्थी का हितबद्ध होने का कोई स्पष्ट सबुत भी प्रस्तुत नही किया गया हैं। ऐसी स्थिति में वादी की इच्छा के विरूद्ध उसके वाद में व्यवधान पैदा करने हेतु प्रार्थी को पक्षकार बनने की अनुमति नही दी जा सकती हैं। अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र आदेश 01 नियम 10 खारिज किया जाता हैं।

प्रियव्रत सिंह चारण
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

Scanned by CamScanner